न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

गीता पुत्री श्री मिश्रु धोबी वगै **बनाम** बालु पुत्र श्री दल्ला माली वगै.

मुकदमा 127 / 2022

धारा 111–128 एल0आर0ए

24.03.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–127 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. गीता पुत्री श्री मिश्रु धोबी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. दिनेश पुत्र श्री गोपाल धोबी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. पिंकी पुत्री गोपाल धोबी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. भैरू लाल पुत्र श्री मिश्रु धोबी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. श्रीमती रामकन्या पत्नी श्री गोपाल धोबी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. लादू लाल पुत्र श्री मिश्रु धोबी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. लाली पुत्री श्री मिश्रु धोबी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा। **–प्रार्थीगण**

बनाम

1. बालू पुत्र श्री दल्ला माली निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. इमामुदीन पुत्र श्री हसन नीलगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. घीसू पुत्र श्री हसन नीलगर निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. सुबोध कुमार पुत्र श्री श्याम लाल बाहेती निवासी आर.सी. व्यास नगर, भीलवाड़ा।
5. रामेश्वर पुत्र श्री रामनिवास आगाल निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. प्यारा पुत्र श्री रामचन्द्र ब्राह्मण निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
7. रामस्वरूप पुत्र श्री गोपाल कोठारी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. सत्यनारायण पुत्र श्री कल्याण कोठारी निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा। **–विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 24.03.2022

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 सांगानेर में स्थित आराजी नम्बर 1867 रकबा 0.0379 हैक्टयर आराजी नम्बर 1882 रकबा 1.3530 आराजी नम्बर 1887/1 रकबा 0.2845 हैक्टयर आराजी नम्बर 1888/1 रकबाप 0.0443 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 1.7197 भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 सांगानेर में स्थित आराजी नम्बर 1867 रकबा 0.0379 हैक्टयर आराजी नम्बर 1882 रकबा 1.3530 आराजी नम्बर 1887/1 रकबा 0.2845 हैक्टयर आराजी नम्बर 1888/1 रकबाप 0.0443 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 1.7197 भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 सांगानेर में स्थित आराजी नम्बर 1867 रकबा 0.0379 हैक्टयर आराजी नम्बर 1882 रकबा 1.3530 आराजी नम्बर 1887/1 रकबा 0.2845 हैक्टयर आराजी नम्बर 1888/1 रकबाप 0.0443 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 1.7197 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 350/– रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीगण जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक सांगानेर 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सांगानेर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा